न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—385/2019/225 (2019/00385)

1. मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास बान्दर सिन्दरी, तहसील किानगढ़ जिला अजमेर जरिये इसके पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टीः—
1/1— धमेन्द्र नाथ पुत्र स्व0 भैरूनाथ, जाति जोगी, पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास बान्दर सिन्दरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती रामीदेवी पत्नि स्व0 शिवनाथ उर्फ श्योजीनाथ पुत्र भैरूनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी, मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास, बान्दर सिन्दरी, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर ।
2. सत्यनारायण नाथ उर्फ सत्तू नाथ, पुत्र स्व0 लक्ष्मणनाथ उर्फ लक्ष्मीनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास बान्दर सिन्दरी, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर ।
3. गणेशनाथ पुत्र स्व0 लक्ष्मणनाथ उर्फ लक्ष्मीनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथिन पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास बान्दर सिन्दरी, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर ।
4. अमरनाथ पुत्र स्व0 गिरधारीनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास, बान्दर सिन्दरी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. लहरीनाथ पुत्र गिरधारीनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास, बान्दर सिन्दरी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर हाल नि0 मोरेड़ तह0परबतसर, जिला नागौर ।
6. शिवनाथ पुत्र गिरधारीनाथ जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी, मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास, बान्दर सिन्दरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम मोरेड़, तहसील परबतसर, जिला नागौर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, जिला अजमेर दिनांक 9.10.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 14/2016.

उपस्थितः—

1. श्री सुण्डाराम जाट, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वी0एस0 भाटी, वकील रेस्पो0 संख्या 4 से 6.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अनुपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 25.2.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 9.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1/1 एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 मंदिर श्री महादेव जी ग्राम बान्दरसिंन्दरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर देवस्थान विभाग के अन्तर्गत एक पंजीकृत प्रन्यास है जिसका पंजीयन दिनांक 22.2.1980 को मिसल संख्या 26/1977 के तहत हुआ है । प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1/2 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 उक्त प्रार्थी संख्या 1 मंदिर श्री महादेव जी ग्राम बान्दर सिन्दरी तहसील किशनगढ़ के पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी है । उक्त मंदिर श्री महादेव जी को तत्समय के जागीरदार द्वारा कृषि भूमियां दी गई थी तथा उक्त कृषि भूमि का कब्जा तत्समय के पुजारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 के पूर्वज खेमनाथ पुजारी को संभलाया गया था तब से उक्त मंदिर एवं इसकी कृषि भूमियों का कब्जा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 के पूर्वज पुजारी खेमनाथ का ही चला आ रहा है । वर्तमान मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। खेमनाथ ने उक्त मंदिर की देखरेख व्यवस्था एवं प्रबंधन बेहतर तरीके से हो तथा उक्त मंदिर एवं इसकी सम्पतियों को कोई खुर्दबुर्द नहीं करे इसलिये उक्त मंदिर एवं इसकी सम्पतियों के ट्रस्ट का गठन कर अपने तीन पुत्र भैरूनाथ, लक्ष्मीनाथ उर्फ लक्ष्मणनाथ एवं गिरधारीनाथ को ट्रस्टी नियुक्त किया तत्पश्चात् उक्त ट्रस्ट का पंजीकरण देवस्थान विभाग में करवाने के लिए एक आवेदन पत्र इस ट्रस्ट के कार्यवाहक प्रन्यासी एवं पुजारी खेमनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भैरूनाथ जोगी के द्वारा सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के समक्ष पेश किया जिसके पंजीयन आदेश दिनांक 22.2.1980 को जारी हुए जिसमें उक्त प्रन्यास के तीन प्रन्यासी भेरूनाथ पुत्र खेमनाथ जोगी, लक्ष्मणनाथ पुत्र खेमनाथ जोगी एवं गिरधारीनाथ पुत्र खेमनाथ जोगी का नाम उक्त पंजीयन आदेश के पैरा संख्या 5 में स्पष्टतया उल्लेखित है । इसी प्रकार उक्त पंजीयन आदेश के पैरा संख्या 6 में इस प्रन्यास के पद पर उत्तराधिकार का तरीका वंश परम्परागत होना स्पष्टतया अंकित है । उक्त मंदिर के ट्रस्ट का गठन होने के पश्चात् विधिनुसार उक्त मंदिर श्री महादेव जी की सम्पतियां उक्त तीन ट्रस्टी श्री भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ, गिरधारीनाथ में निविष्ट हो गयी । किसी भी मंदिर के पुजारी अथवा सिबैत तथा ट्रस्टी में अंतर होता है । किसी मंदिर के पुजारी/सिबैत में मंदिर की सम्पतियां निविष्ट नहीं होती है जबकि किसी मंदिर की सम्पतियों का एक बार ट्रस्ट गठित हो जाने के पश्चात् मंदिर की उक्त सम्पतियां ट्रस्टीयों में निविष्ट होती है तद्नुसार चूंकि मंदिर महादेव जी बान्दर सिन्दरी की सम्पतियों का ट्रस्ट गठित होकर इसका पंजीयन हो गया है इसलिये जमाबंदी (खतौनी) ग्राम बान्दरसिन्दरी, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के खेवट खतौनी संख्या 252 के खसरा संख्या 11 रकबा 00—09—00, खसरा नबर 12 रकबा 04—05—00, खसरा नंबर 203 रकबा 35—04—00, 209 रकबा 109—09—00, 237 रकबा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

00–03–00, 238 रकबा 08–00–00, 244 रकबा 02–16–00, 256 रकबा 48–09–00, 286 रकबा 00–01–00, 287 रकबा 61–00–00, 599 रकबा 07–08–00, 626 रकबा 00–04–00, 627 रकबा 00–04–00, 628 रकबा 01–03–00, 629 रकबा 00–04–00, 630 रकबा 00–05–00, 631 रकबा 20–06–00, 681 रकबा 02–07–00, 684 रकबा 00–07–00 कुल किता 19 रकबा 302–09–00 आराजी मंदिर श्री महादेव जी देह खातेदार पुजारी बद्धनाथ पुत्र भैरूनाथ नाबालिग भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ, गिरधारीनाथ ट्रस्टी पि0 खेमनाथ कौम नाथ सा0 देह के नाम से अमल दरामद हुई है। इसी प्रकार नामांतकरण रजिस्टर ग्राम नोहरिया पटवारी हल्का नलू भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ जिला अजमेर के अनुसार खसरा नंबर 217 रकबा 00–07–00, 245 रकबा 01–17–00, खसरा नंबर 246 रकबा 251–17–00 कुल किता 3 कुल रकबा 254–01–00 बीघा आराजी श्री महादेव जी महाराज स्थान बान्दरसिन्दरी खातेदारी पुजारी आश्व बुद्धनाथ पुत्र भैरूनाथ पुजारी जैर अहतमाम भैरूनाथ, गिरधारीनाथ, लक्ष्मणनाथ ट्रस्टी पि0 खेमनाथ के नाम से स्वीकार हुआ । उक्त ट्रस्ट के गठन के पश्चात् उक्त सम्पति उक्त मंदिर ट्रस्ट के तीन ट्रस्टीयों भेरूनाथ, लक्ष्मणनाथ एवं गिरधारीनाथ में निविष्ट है तथा गठन के समय से ही उक्त आराजी का कब्जा काश्त उक्त खेमनाथ जी के तीन ट्रस्टी पुत्रों का चला आ रहा है तथा तीनों ट्रस्टीयों का समान रूप से बराबर–बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा में कब्जा काश्त चला आ रहा है । वर्ष 2005 में ट्रस्टी भैरूनाथ का देहांत हो गया तत्पश्चात् उक्त मंदिर श्री महादेव जी ट्रस्ट बांदरसिंदरी के पंजीयन निर्णय दिनांक 22.2.1980 के अनुसार प्रन्यासी पद पर उत्तराधिकार का तरीका वंश परम्परागत के अनुसार होने से भैरूनाथ के देहांत के पश्चात् बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एण्ड बाई एटोर्नमेंट भैरूनाथ के पुत्रगण श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 धर्मेन्द्रनाथ उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी हो गये एवं उपरोक्त सम्पति का 1/3 हिस्से का कब्जा काश्त इनमे निविष्ट हो गया । तत्पश्चात् भैरूनाथ के पुत्र श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ का भी देहांत हो गया इसलिये बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एण्ड बाई एटोर्नमेंट श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ के वंशज प्रार्थी श्रीमती रामी देवी बेवा शिवनाथ उर्फ श्योजीनाथ उक्त मंदिर श्री महादेव जी प्रन्यास में प्रन्यास की ट्रस्टी हो गयी । श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ के देहांत के पश्चात् उनका 1/6 हिस्सा उसके वंशज प्रार्थिया श्रीमती रामीदेवी में निविष्ट हो गया एवं तब से ही रामी देवी का ही कब्जा काश्त है । इसी प्रकार वर्ष 2010 में ट्रस्टी लक्ष्मणनाथ का देहांत होने के पश्चात् बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्व0 लक्ष्मनाथ के वारिसान उनके पुत्र अप्रार्थी संख्या 1/2 सत्यनारायण उर्फ सत्तूनाथ एवं अप्रार्थी संख्या 1/3 गणेशनाथ, लक्ष्मणनाथ की जगह ट्रस्टी हो गये इसलिये पैरा संख्या 6 मे वर्णित आराजियात कृषि भूमि के 1/3 हिस्से का जो कब्जा काश्त लक्ष्मणनाथ में निविष्ट था वह कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1/2 सत्यनारायण नाथ उर्फ सत्तुनाथ एवं अप्रार्थी संख्या 1/3 गणेशनाथ में समान रूप से बराबर–बराबर 1/6, 1/6 हिस्से में निविष्ट हो गया और तब से ही उपरोक्त पैरा संख्या 6 में वर्णित आराजियात के 1/6 हिस्से का कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1/2 एवं अप्रार्थी संख्या 1/3 का संयुक्त रूप से चला आ रहा हे और वर्तमान में भी इन्हीं का कब्जा काश्त है जिसकी पुष्टि तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा दिनांक 2.8.2014 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट से भी स्पष्टतया होती है । इसी प्रकार वर्ष 2015 में ट्रस्टी गिरधारीनाथ का भी देहांत हो गया इसलिये उपरोक्त पैरा संख्या 6 में वर्णित आराजी का 1/3 हिस्सा का जो कब्जा काश्त गिरधारीनाथ में निविष्ट था वह उसके देहांत के बाद उसके वंशज प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1/4 से 1/6 गिरधारीनाथ की जगह ट्रस्टी हो गये इसलिये उनमें प्रत्येक में समान रूप से बराबर–बराबर 1/9, 1/9 हिस्से का कब्जा काश्त निविष्ट हो गया और तत्पश्चात् उपरोक्त पैरा संख्या 6 में वर्णित आराजी कृषि भूमि के 1/9 हिस्से का कब्जा काश्त बराबर एवं समान रूप से प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 का संयुक्त रूप से चला आ रहा है एवं वर्तमान में उन्हीं का कब्जा काश्त है ।

3. अप्रार्थी संख्या 1/1 धर्मेन्द्रनाथ ने ट्रस्टी भैरूनाथ के देहांत के पश्चात् गुपचुप तरीके से केवल अपना ही नाम देवस्थान विभाग में भैरूनाथ की जगह ट्रस्टी के रूप में दर्ज करवा लिया जिसका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 के पिता स्व0 गिरधारीनाथ को जानकारी होने पर उन्होंने इसे देवस्थान विभाग मे धारा 24 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत चुनौती देकर इसकी पुनः जांच करवाने हेतु प्रकरण दर्ज करवाया जो सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर के यहां विचाराधीन है । दिनांक 17.10.2015 को प्रार्थी श्रीमती रामीदेवी जिसके कब्जे एवं काश्त के खसरा नंबर 256 रकबा 48–09–00 में काम रही थी तब अप्रार्थी संख्या 1/1 वहां पर आया और प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि वह मंदिर का पुजारी है तथा उसे गांव वालों ने चादर औढ़ाई है इसलिये वह ही उक्त मंदिर की समस्त जायदाद जो उपरोक्त पैरा संख्या 7 में वर्णित है का मालिक है इसलिये वह ही उक्त संपूर्ण आराजी में काश्त करेगा और प्रार्थी को खसरा नंबर 256 रकबा 48–09–00 आराजी सहित अन्य खसरा नंबर की आराजी जो प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित है मैं प्रार्थी के 1/6 हिस्से में भी काश्त नहीं करने देगा और अन्य अप्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण को भी उक्त पैरा संख्या 7 में वर्णित आराजी में उनके हक व हिस्से के कब्जे काश्त की भूमि में उनको भी काश्त नहीं करने देगा । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1/1 को समझाने का प्रयास किया तथा अप्रार्थी संख्या 1/1 को यह भी कहा कि उक्त मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है इसलिये विधिनुसार उपरोक्त पैरा संख्या 7 में वर्णित सम्पति में 1/3 हिस्से का जो कब्जा काश्त ट्रस्टी भेरूनाथ में निविष्ट था उसमें से 1/6 हिस्से का कब्जा काश्त प्रार्थी रामीदेवी में निविष्ट है एवं उसको काश्त करने का उसको ही अधिकार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1/1 ने प्रार्थी की एक नहीं सुनी और प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त खसरा नंबर 256 रकबा 48–09–00 सहित अन्य भूमियां जो उपरोक्त पैरा संख्या 6 में वर्णित है के कब्जे काश्त में हिस्से में से जबरन बदेखल कर देगा एवं प्रार्थी को बेकब्जा कर देगा । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1/1 प्रार्थी को उसके हक व हिस्से से वंचित से आमादा है जिसको दीगर तरीके से रोका जाना संभव नहीं है । राज्य सरकार के पत्र क्रमाकं प. 3(2)राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 में स्पष्टतया निर्देशित है कि इन राजस्व रिकार्ड में मंदिर के साथ अंकित पुजारी/मैनेजर/ ट्रस्टी का नाम विलोपित कर दिया गया है । उनका नाम वापिस राजस्व रिकार्ड में मंदिर के साथ अंकित किया जावे । ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम उपरोक्त पैरा संख्या 7 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे मंदिर श्री महादेवजी के साथ पुजारी/मैनेजर/ ट्रस्टी अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है । वर्तमान में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में से केवल खसरा नंबर 256 रकबा 48–09–00 आराजी का कब्जा प्रार्थी श्रीमती रामीदेवी के पास है तथा खसरा नंबर 287 रकबा 61–05–00 आराजी पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1/2 सत्यनारायण उर्फ सत्तूनाथ का है । शेष आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त के हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1/1 ने जबरन अपने पास रखा हुआ है तथा गैर कानूनी रूप से प्रार्थी के कब्जे काश्त के हिस्से पर कब्जा किया हुआ है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

इसलिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित अन्य खसरा नंबरान की आराजी में प्रार्थी श्रीमती रामीदेवी को 1/6 हिस्से का कब्जा कशत अप्रार्थी संख्या 1/1 से दिलवाया जाना न्यायोचित है । चूंकि वर्तमान खसरा नंबर 256 रकबा 48–09–00 आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में है तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में अंकित अन्य आराजी में प्रार्थी का 1/6 कब्जा काश्त का हिस्सा है । इसलिये प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है तथा प्रार्थिया के हिस्से की आराजी में यदि अप्रार्थीगण द्वारा काश्त नहीं करने दी जाती है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया को होगी । इसलिये तीनों ही बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण स्वंय, उनके वारिसान, रिश्तेदार, मित्रगण, नौकर चाकर, एजेन्ट, असाईनिज इत्यादि ग्राम बान्दर सिन्दरी स्थित खसरा नंबर 256 रकबा 48–09–00 आराजी के प्रार्थिया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी, बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करने एवं न ही करावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 9.10.2019 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 256 रकबा 48–09–00 आराजी के प्रार्थीया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी, बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करने तथा ताफैसला वाद प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित आराजी के प्रार्थिया के 1/6 हिस्से को किसी को काश्त हेतु ठेके पर नहीं देने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

4. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1/1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा निर्णरू में मनमाने ढंग से अप्रार्थी संख्या 1/1 के जवाब का विस्तारपूर्वक कथन अंकित कर निर्णय पारित किया गया है । इस प्रकार अधी0न्यायास0 ने पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मंदिर के नाम दर्ज है, मंदिर रिकार्डेड खातेदार है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा मंदिर की आराजी के संबंध में गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है जबकि प्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई लेना–देना नही है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में मंदिर के नाम दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1 मंदिर के पूर्व के शिष्य है । विधिनुसार उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्व महत्न के शिष्य होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1/1 का वादग्रस्त आराजी पर प्रारंभ से आज दिवस तक कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद अन्य धाराओं के साथ धारा 183 राज0काश्त0अधि0 के तहत भी प्रस्तुत किया गया है जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कब्जा नहीं है । इसके अलावा प्रार्थी द्वारा वाद के अंतर्गत मुख्य रूप से कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है । इसके अलावा राजस्व रिकार्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जमाबंदी में संपूर्ण वादग्रस्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1/1 मंदिर के अधिकृत पुजारी/मैनेजर/ ट्रस्टी होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त कर रहे है तथा कृषि आय से मंदिर की देखरेख एवं मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है । उक्त वर्णित समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । प्रार्थी द्वारा मूल वाद में घोषणा का अनुतोष भी चाहा है । वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मंदिर के नाम दर्ज है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 46 के तहत मंदिर की खातेदारी भूमि की घोषणा किसी भी व्यक्ति के नाम से नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में वादी का वाद पोषणीय नहीं था । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मंदिर की भूमि की खातेदारी किसी भी व्यक्ति/पुजारी/ ट्रस्टी को नहीं दी जा सकती है । अधी0न्याया0 ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि नाथ सम्प्रदाय के अनुसार आयस/पुजारी/चेला नियुक्त किया जाता है । वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में खेमनाथ चेला थे । उनके देहांत के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी बुद्धनाथ हुए । बुद्धनाथ के देहांत के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी जितेन्द्रनाथ हुए । जितेन्द्रनाथ के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी धर्मेन्द्रनाथ अप्रार्थी संख्या 1/1 उनके चेले हुए । उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1/1 धमेन्द्रनाथ मंदिर के अधिकृत पुजारी है । यह समस्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब के माध्यम से एवं दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किये गये थे जिन्हें अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का विधिनुसार विवेचन नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 से 6 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । मंदिर श्री महादेव जी ग्राम बांदर सिंदरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर देवस्थान विभाग के अंतर्गत एक पंजीकृत प्रन्यास है जिसका पंजीयन दिनांक 22.2.1980 को मिसल संख्या 26/1977 के तहत हुआ है । रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी संख्या 1 मंदिर का पुजारी/मैनेजर/ ट्रस्टी है । उक्त मंदिर श्री महादेव जी को तत्समय के जागीरदार द्वारा कृषि भूमियां दी गई थी तथा उक्त भूमियों का कब्जा तत्समय के पुजारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1/2 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 6 के पूर्वज खेमनाथ पुजारी को संभलाया गया था तब से उक्त मंदिर एवं इसकी कृषि भूमियों का कब्जा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/2 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 1/4 से 1/6 के पूर्वज पुजारी खेमनाथ का ही चला आ रहा है और वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 का संयुक्त रूप से चला आ रहा है । किसी भी मंदिर के पुजारी/सिबैत तथा ट्रस्टी में अंतर होता है। किसी मंदिर के पुजारी/सिबैत में मंदिर की सम्पतियां निविष्ट नहीं होती है जबकि किसी मंदिर की सम्पतियों का एक बार ट्रस्ट गठित हो जाने के पश्चात् मंदिर की उक्त सम्पतियां ट्रस्टीयों में निविष्ट होती है तद्नुसार चूंकि मंदिर महादेव जी बान्दर सिन्दरी की सम्पतियों का ट्रस्ट गठित होकर इसका पंजीयन हो गया है, उक्त मंदिर महादेव जी की उक्त सम्पतियां इसके तीन ट्रस्टीयों में समान रूप से विधि अनुसार निविष्ट हो गई है । अप्रार्थी संख्या 1/1 धर्मेन्द्रनाथ ने ट्रस्टी भैरूनाथ के देहांत के पश्चात् गुपचुप तरीके से केवल अपना ही नाम देवस्थान विभाग में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भैरूनाथ की जगह ट्रस्टी के रूप में दर्ज करवा लिया जिसका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 के पिता स्व0 गिरधारीनाथ को जानकारी होने पर उन्होंने इसे देवस्थान विभाग मे धारा 24 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत चुनौती देकर इसकी पुनः जांच करवाने हेतु प्ररकण दर्ज करवाया जो सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर के यहां विचाराधीन है । नामांतकरण संख्या 401 दिनांक 11.6.1992 में वर्णित खाता संख्या 327 किता 19 कुल रकबा 302–09–00 भूमि के कॉलम संख्या 7 में मंदिर श्री महादेव जी स्थान आसन देह खातेदार पुजारी बुद्धनाथ वल्द भैरूनाथ नाबालिग पुजारी सा0देह का अंकन है तथा कॉलम संख्या 9 में मंदिर श्री महादेव जी आसन स्थान देह खातेदार दर्ज हुआ है । जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि में भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ एवं गिरधारीनाथ तीनों ही ट्रस्टी तथा पुजारी है एवं वादग्रस्त आराजी से प्राप्त आय से अपनी व मंदिर की आवयकताओं की पूर्ति करते है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । राजस्व अभिलेख ग्राम बान्दर सिन्दरी के नामांतकरण संख्या 401 दिनांक 11.6.1992 में अंकित खाता संख्या 327 किता 19 कुल रकबा 302–09–00 बीघा भूमि के कॉलम संख्या 7 में मंदिर श्री महादेव जी स्थान आसन देह खातेदारी पुजारी बुद्धनाथ वल्द भैरूनाथ नाबालिग पुजारी जेर अहतमाम भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ, गिरधारी नाथ ट्रस्टी पि0 खेमनाथ कौम नाथ सा0देह अंकित है । इसी प्रकार कॉलम संख्या 9 में मंदिर श्री महादेव जी आसन स्थान देह खातेदार दर्ज हुआ है । उक्त अंकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि में भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ एवं गिरधारीनाथ तीनों ही ट्रस्टी तथा पुजारी है एवं वादग्रस्त आराजियात से प्राप्त आय से ही अपनी व मंदिर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । भू0अ0निरीक्षक बान्दरसिन्दरी एवं पटवारी हल्का बान्दरसिन्दरी तथा मुण्डोती के संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 2.8.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 62/2014 में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 256 रकबा 48–09–00 बीघा भूमि पर संवत् 2070 में प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती रामी की काश्त का अंकन है । उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार की गई है । उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर प्रार्थिया की काश्त है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है । इसी प्रकार प्रार्थिया का पूर्वजों के समय से विवादित आराजियात पर चले आ रहे कब्जे के अुनसार विवादित आराजी प्रार्थिया की आजीविका का एकमात्र साधन होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में पाया जाता है । यदि प्रार्थिया/रेस्पो0 की प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त होने से यदि प्रार्थिया को बेदखल किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थिया को होने की संभावना है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 14/2016 में पारित आदेश दिनांक 9.10.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 25.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर